अनुसूचित जनजाति में नेतृत्व की प्रवृत्ति

देवानन्द तिवारी
शोधार्थी (समाजशास्त्र)
शा. ठाकुर रणमत सिंह स्वशासी महाविद्यालय
रीवा (म.प्र.)

सारांश

पंचायतीराज अधिनियम 1993 के संवैधानिक प्रावधानों के कारण अनुसूचित जनजाति वर्ग को ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधित्व का अवसर प्राप्त हुआ है। पंचायत राज का क्रियान्वयन एवं अनुसूचित जनजाति नेतृत्व का यह अध्ययन स्पष्ट करताा है कि नेतृत्व की सामाजिक आर्थिक स्थिति कमोवेश अनुसूचित जनजाति वर्ग की तरह ही औसतन निम्न स्तर की है। ग्रामीण सामाजिक सरंचना में परम्परागत रूप से निम्न स्थिति प्राप्त इस वर्ग की महिलाओं को नेतृत्व करने का यह प्रथम अवसर प्राप्त हुआ है। पंचायतराज की बहुविविध गतिविधियों में ग्राम पंचायत बांसा के अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व की स्थिति प्रशिक्षणाथी के समान रही है। अशिक्षा, कमजोर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कार्य के औपचारिक अनुभव का अभाव जैसे कारणों से इन नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रति अनभिज्ञता दिखाई दी। इसके बावजूद ग्रामीण विकास पंचायत की समस्याएँ अनुसूचित जनजाति वर्ग उत्थान जैसे विषयों पर इस नेतृत्व ने स्पष्ट विचार व्यक्त किए जिसमें ये देखने में आया कि अनुसूचित जनजाति वर्ग में नेतृत्व की अपार संभावनाएँ है।

मुख्य शब्द - *पंचायतीराज, ग्रामीण विकास, अनुसूचित जनजाति नेतृत्व*।

समाज वैज्ञानिकी अक्टूबर-मार्च 2020-21
अंक-33-34, ISSN 0973-4201
भारतीय समाज विज्ञान परिषद्

प्रस्तावना -

भारत में ग्राम पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीनकाल में आपसी झगड़ों का फैसला पंचायतें ही करती थीं। परन्तु अंग्रेजीराज के जमाने में पंचायतें धीरे-धीरे समाप्त हो गयी और सब काम प्रान्तीय सरकारें करने लगी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद राज्यों की सरकारों ने पंचायतों की स्थापना की और विशेष ध्यान दिया। प्रो. रजनी कोठारी के अनुसार, राष्ट्रीय नेतृत्व का एक दूरदर्शितापूर्ण कार्य था पंचायतीराज की स्थापना। इसमें भारतीय राज व्यवस्था को विकेन्द्रीकरण हो रहा है और देश में एक सी स्थानीय संस्था के निर्माण से उसकी एकता भी बढ़ रही है।[1] इसकी शुरुआत का श्रेय श्री जवाहर लाल नेहरु को है। पं. नेहरु का कहना था कि[2] गाँवों के लोगों को अधिकार सौंपना चाहिए। उनको काम करने दो चाहें वे हजारों गलतियाँ करे। इससे घबराने की जरुरत नहीं। पंचायतों को अधिकार दो।

वस्तुत: हमारा जनतंत्र इस बुनियादी धारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक से अधिक शासन कार्यो में हाथ बंटाए और अपने घर, राज करने की जिम्मेदारी स्वयं झेले। भारत में जनतंत्र का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रामीणजनों का शासन से कितना अधिक प्रत्यक्ष और सजीव सम्पर्क स्थापित हो जाता हौ दूसरे शब्दों में, ग्रामीण भारत के लिए पंचायतीराज की एक मात्र उपयुक्त योजना है। पंचायतें ही हमारे राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है। दिल्ली की संसद में कितने ही बड़े आदमी बैठे । लेकिन असल में पंचायतें ही भारत की चाल बनाएंगी।

पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने ठीक कहा था कि यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज की प्रतिध्वनि बनना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले, जनता के लिए उतनी ही भली है।

ग्रामीण अनुसूचित जनजाति नेतृत्व ने पंचायतराज क्रियान्वयन में कहीं बहुत प्रभावकारी तो कहीं सामान्य भूमिका निभाई है। परम्परागत रूप से अप्रतिनिधित्व प्राप्त इस वर्ग की कार्य के माध्यम से प्रशिक्षण की प्रक्रिया पिछले चालू वर्षो से सतत जारी है। क्रियान्वयन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इस नेतृत्व के लिये विकेन्द्रीकरण की मूल अवधारणा को समझते हुये गंभीर प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था की सबसे निम्नतम स्तर की इकाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की सीधी जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। ग्राम पंचायत में स्वशासन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित होते है। ऐसे में सरपंच की ग्राम पंचायत के प्रमुख के नाते केन्द्रीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मध्यप्रदेश शासन ने पंचायतों को स्थानीय स्व शासन की स्वतंत्र इकाईयां बनाने के उद्देश्य से बहुविविध कार्यों, अधिकारों कर्तव्यों एवं शक्तियों को पंचायतों को प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायतों की वैविध्यपूर्ण भूमिका के संदर्भ में अनुसूचित जनजाति महिला सरपंचों से जानकारी प्राप्त की गई।

सरकार ने पंचायतीराज व्यवस्था का निर्माण किया, इसके अंतर्गत वर्तमान समय में विभिन्न उत्पादक गतिविधियों का संसाधन कर रहा है। इसमें ग्रामीण महिलायें विशेष कर पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग का आर्थिक उत्थान हुआ है ये आज अपने परिवार की जिम्मेदारी को बखूबी से निभाने में सफल हुई है एवं आत्म निर्भर हुई। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दुर्बलताओं का सर्वाधिक प्रभाव महिलाओं पर होता है भारतीय संदर्भ में यदि देखा जाये तो पिछड़े क्षेत्रों के ग्रमीण व श्रमिक बाहुल्य परिदृश्य में अनुसूचित जातिजनजातीय महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। अशिक्षा, कुपोषण, काम का बोझ तथा आर्थिक विषमताओं के फलस्वरुप होने की संभावना के विषय में सोचना भी कठिन हो गया है।

मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवथा है जिसमें 48 जिला पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें एवं 23051 ग्राम पंचायतें हैं। प्रस्तुत अध्ययन ग्राम पंचायत बांसा के अनुसूचित जनजाति पर केन्द्रित है। वर्तमान में वैश्वीकरण, निजीकरण, मुक्त बाजार व्यवस्था, पूंजी तथा श्रम का पलायन सरंचनात्मक, समायोजन, विकेन्द्रीकरण, पुनर्सरंचना विनियमन तथा स्थानीय विकास आदि के युग में जनकल्याणकारी नीतियों का निर्धारण व क्रियान्वयन अधिकतर गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। अत: प्रशासन के मूलभूत सिद्धांत है- समानता, न्याय, सम्पन्नता, लोकतंत्र तथा इन्हें सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है सहभागिता, विकेन्द्रीकरण, उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता। पिछले कुछ समय से विश्व बैंक व आर्थिक विकास सहयोग संगठन सुशासन को प्रचारित करने में सबसे आगे हैं। विश्व बैंक ने सुशासन को परिभाषित करते हुए तीन पहलुओं से संबंधित किया।

1. राजनीति शासन प्रणाली का रुप।
2. विकास हेतु देश के आर्थिक और सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में प्राधिकार प्रयोग की प्रक्रिया।
3. नीति-प्रारुपण, नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में सरकार की योग्यता।

विश्व बैंक की तरह ही आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने भी विकासशील देशों को विकास संबंधी सहायता देने के लिए सुशासन की शर्तें रखी। इन दो संस्थाओं के अलावा वैश्विक सुशासन से संबंधित आयोग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम व यूनेस्कों जैसी संस्थाओं ने भी सुशासन के तत्वों और लक्षणों को प्रस्तुत किया। 1999 मे दक्षिण एशिया मे मानव विकास पर प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि वैश्श्विक स्तर पर सुशासन मे परिवर्तन तथा 90 के दशक मे उदारीकरण और वैश्वीकरण के प्रभाव से वैश्विक आर्थिक व्यवस्था मे व्यापक परिवर्तन हुआ। परिणामत: वैश्विक संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा नागरिक घोषणा पत्र के माध्यम से प्रशासन को सरल संवेदनशील, जबावदेह और पारदर्शी बनाने का प्रयास शुरु हुआ। आज 21वी सदी मे यह मत व्याप्त है कि सुशासन किसी राष्ट्र एवं क्षेत्र विशेष से जुडी

अवधारणा नही बल्कि एक वैश्विक अवधारणा है जो गतिशील तथा परिवर्तत हो रही वैश्विक परिस्थितियो को सकारात्मकता पदान करने से संबंधित है। अत: उदारीकरण और वैश्वीकरण के इस वातावरण मे संयुक्त समन्वित मानवीय पयास के माध्यम से सुशासन को पाप्त कर वैश्विक गांव को विकसित करने मे सफलता प्राप्त होगी और सम्पूर्ण मानव समाज का विकास संभव होगा।

इसी प्रकार पंचायतीराज संस्थानो और स्थानीय नौकरशाही के बीच संबंधसूत्रता के बारे मे भी अधिनियम चुप्पी साधे हुए है। एक महत्वपूर्ण कमी पंचो एवं सरपंचो के लिए साक्षरता का निर्बन्धन हटा देने की है। पुराने पंचायतीराज कानून मे सरपंच के प्रत्याशी के लिए साक्षर होना आवश्यक था। यह व्यवस्था तर्कसंगत थी। वर्तमान कानून मे इस स्थान पर नही देने के कारण शायद यह हो सकता है कि इसमे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगो के लिए स्थान आरक्षित किये गये है और गांवो मे आज भी यह वर्ग सामान्यत: अशिक्षित या निरक्षर है, लेकिन यह व्यवस्था तो हो सकती है कि एक बार कोई व्यक्ति पंच या सरपंच निर्वाचित हो जाने पर वह दुबारा इस पद के लिये तभी पात्र होगा जब वह पांच वषो मे साक्षर हो जायेगा। नये पंचायतीराज कानून मे एक महत्वपूर्ण कमी यह है कि इसमे न्याय पंचायतो की व्यवस्था नही की गई है। लेखक की मान्यता है कि ७३वां संविधान संशोधन अधिनियम बन जाने के बावजूद पंचायतीराज संबंधो की सफलता राज्य सरकारो की इच्छा पर निर्भर करती है।

साहित्य की समीक्षा-

पंचायतीराज संस्थाओ का ग्रामीण विकास मे योगदान जिन-जिन लेखको का रहा है उसका कुछ स्वरुप निम्न प्रकार है:-

जसप्रीत कौर सोनी (2006)[1] ग्लोबलाइजेशन **:** ब्रिजिंग डिवाइड विटवीन सिविल सोसायटी एण्ड गुड गवर्नेस पस्तुत लेख मे लेखक ने सुशासन की महत्व को स्वीकारा है। सुशासन और नागरिको के मांगो के संबंध मे प्रस्तुल लेख वैश्वीकरण और लोकतंत्र के बीच संबंध को समझने की कोशिश करता है। लेखक के अनुसार लोकतंत्र के तीन मुख्य आधार है, सरकार व्यवसायिक समुदाय और समाज। समाज के उदेश्यो की पूर्ति व नागरिको के दैनिक जीवन मे आने वाली सामान्य जरुरतो की पूर्ति में स्थानीय नेतृत्व की अहम् भूमिका होती है साथ ही इसमे लेखक ने पंचायतीराज व्यवस्था के महत्व को भी स्पष्ट किया है।

बी.एम.शर्मा, रुप सिंह बारेठ (2004)[2] : गुड गवर्नेस, ग्लोब्लाइजेशन एण्ड सिविल सोसायटी प्रस्तुत पुस्तक राष्ट्रीय सेमीनार मे प्रस्तुत शोध पत्रो का संकलन है। यह पुस्तक सुशासन वैश्वीकरण और नागरिक समाज इन तीनो अवधारणाओ का भारतीय राजनीतिक परिदृश्य मे नवोदित वैश्विक व्यवस्था के संदर्भ मे विश्लेषण करने का प्रयास करती है। इस पुस्तक मे सुशासन वैश्वीकरण तथा नागरिक समाज की संकल्पनाओ

को परिभाषित, परीक्षण व परिष्कृत करने का प्रयत्न किया गया है। विशेष रुप से भारत जैसे विकासशील देश पर इनका प्रभाव तथा इक्कीसवी शताब्दी की चुनौतियो का इस पुस्तक मे विस्तार से वर्णन किया गया है। पुस्तक मे इस बात पर विशेष जोर दिया गया है कि किस प्रकार हो गया है। इस पुस्तक मे सुशासन के विभिन्न आयामो जैसे-विकास, संगठनात्मक प्रभाव, आम जनता के जीवन स्तर को सुधारने की वचनबद्धता, पारदर्शिता, सहभागिता, सामाजिक न्याय व प्रशासनिक सुधार को बहुत प्रभावशाली व सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है।

सी.पी. बर्थवाल (2003)[3] : सुशासन की अवधारणा पर अत्यधिक बल दिया है। लेखक ने सुशासन का अर्थ परिभाषित करते हुए उसकी प्रशासन व समाज मे उसकी भूमिका को भी स्पष्ट किया है। साथ ही भारत मे सुशासन, पंचायतीराज व सुशासन व वैश्वीकरण, सुशासन व लोकतंत्र, सुशासन व मानवाधिकार आदि विषयो को प्रस्तुत किया है।

पूजा शर्मा (2015)[4]: इन्होने अपने लघु शोध प्रबंध ग्रामीण विकास पंचायतीराज की भूमिका-महमूदपुर विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में पंचायतीराज से संबंधित पिछले कुछ वर्षो के शासन आदेशो पर अगर गौर किया जाये तो यह स्पष्ट होता है कि कई ऐसे मामलो मे सरकार खुद कोई पहल नही करना चाहती है और कई मामलो मे यदि वह पहल की इच्छुक होती है तो कई बार ऐसा लगता है कि विभिन्न शासनादेश जारी करके सरकार ऐसा दिखाना चाहती है कि वह पंचायतो की उनके अधिकार और विभाग देने के मामले मे ज्यादा गंभीर है। इसीलिए जो योजना पंचायत मे चलाई जाती है, उसका ज्यादा से ज्यादा बी.पी.एल. वालो को लाभ समय से दिया जाना चाहिए। अत: यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे देश मे जहाँ पंचायतीराज व्यवस्था लागू होती है, यदि पंचायती स्तर पर हमारा विकास होगा तो हम अवश्य ही राष्ट्रीय स्तर पर विकास करेगे क्योकि पंचायती स्तर सबसे छोटा स्तर या विकास की पहली सीढी होती है, यदि पंचायती स्तर पर विकास होगा तो राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, इत्यादि मे वृद्धि होगी जिससे भारत के विकास मे वृद्धि होगी। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत मिलने वाली सेवाओ या योजनाओ का लोगो तक सही से पहुंचने एवं उसका सही तरह से प्रयोग करने से अवश्य ही पंचायती व्यवस्था विकास करेगी, जिससे भारत विकास करेगा।

बिन्दु सिंह (2014)[4]: इन्होने भारत मे लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतीराज पंचायतीराज संस्थाओ के भारतीय संविधान का हिस्सा बन जाने से अब कोई भी पंचायतो को दिये गये अधिकारो, दायित्वो और वित्तीय साधनो को उनसे छीन नही सकेगा। 73वां संविधान संशोधन न केवल पंचायतीराज संस्थाओ मे सरंचनात्मक एकरपता लाने का प्रयास है बल्कि यह सुनिश्चित भी करता है कि इसमे एक ऐसा भी प्रावधान रखा गया है जिसके अंतर्गत राज्य विधानमण्डल यदि उचित समझे तो पिछडी जातियो के नागरिको के लिए आरक्षण का प्रावधान रख सकते है। अब तक पंचायतीराज संस्थाओ की विफलता का कारण उनके

चुनाव समय पर न कराना और उन्हे बार-बार भंग या स्थगित किया जाना रहा है वर्तमान अधिनियम मे इस समस्या पर समुचित ध्यान दिया गया है और उम्मीद है कि पंचायतीराज संस्थान निचले स्तर पर लोकतंत्र के कारगर उपकरण साबित होगे क्योकि उनके निर्वाचनो की निश्चित अवधि पर समयबद्ध व्यवस्था की गई है। इन संस्थानो को अब छह महीने से अधिक समय के लिये भंग या स्थगित नही किया जा सकता।

बी. मुखर्जी (1962)[5]: कम्युनिटी डवलपमेट एण्ड पंचायतीराज, दी इण्डियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाल्यूम 8 नं. 4 अक्टूबर-दिसम्बर 1962, पृ. 7-8 का मानना है कि पंचायतीराज प्रशिक्षण देकर नेतृत्व तैयार करने तक ही नही माना जा सकता ना ही सामुदायिक रुप मे इसे सर्वोदय कार्यक्रम के रुप मे अपनाया गया।

शोध का उदेश्य -

1. ग्रामीण अनुसूचित जनजाति नेतृत्व की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. पंचायतराज व्यवस्था के कियान्वयन के संदर्भ मे अनुसूचित जनजाति नेतृत्व के दृष्टिकोण का पता लगाना।
3. पंचायतीराज के माध्यम से अनुसूचित जनजाति की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
4. पंचायतीराज के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व की राजनीतिक व प्रशासनिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
5. पंचायतीराज व्यवस्था मे अनुसूचित जनजाति के राजनैतिक विकास को प्रभावित करने वाले सकारात्मक एवं नकारात्मक कारको का अध्ययन करना।
6. इसके प्रति भ्रान्त धारणा को स्पष्ट करना एवं जनसहभागिता को बढाने का प्रयास करना।
7. पंचायतीराज संस्थाओ के बीच समन्वयक स्थापित करने का प्रयास करना एवं उनके बीच पाये जाने वाले अन्य संबंधो के बारे मे जानना।
8. ग्राम पंचायत बांसा के अनुसूचित जनजाति की राजनीतिक सजगता एवं अभिरुचि का मूल्यांकन करना।

उपकल्पना-

शोध पत्र मे जनजातीय महिलाओ मे शिक्षा रोजगार आर्थिक व्यवसायिक परिवर्तन मे नगर

पंचायत तथा जनपद पंचायत मे प्रारंभिक योजनाओ के साधनो के लाभो पर नामांकन दर मे कोई सार्थक अंतर नही है।

ग्राम पंचायत की बैठको मे नियमित भाग लेने के मामले मे अनुसूचित जनजाति वर्ग का नेतृत्व का बहुत बडा प्रतिशत जागरुक है।

ग्रामीण अनुसूचित जनजाति नेतृत्व मे पंचायतीराज कियान्वयन मे कही बहुत प्रभावकारी तो कही सामान्य भूमिका निभाई है। क्रियान्वयन को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इस नेतृत्व के लिए विकेन्द्रीकरण की मूल अवधारणा को समझते हुए गंभीर पयास किये जाने की आवश्यकता है।

ग्रामीण अनुसूचित जनजाति नेतृत्व की पंचायतो ने प्रथम औपचारिक भागीदारी आने वाले समय मे ज्यादा सजग एवं जागरुक नेतृत्व देने मे सक्षम होगी।

शोध का क्षेत्र -

प्रस्तुत शोध पत्र **अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व की प्रवृत्ति** (रीवा जिले के ग्राम पंचायत बांसा के विशेष संदर्भ मे) पर आधारित है। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण मध्यप्रदेश मे रीवा जिले का एक विशेष स्थान है। ग्राम पंचायत बांसा का क्षेत्रफल 1994.376 हेक्टेयर है। ग्राम पंचायत बांसा की कुल जनसंख्या 5617 है जिसमे 2732 महिलाएं (48.6) तथा 2885 पुरुष (51.4%) है। इसकी कुल साक्षरता दर 57.9% है जिसमे 3255 लोग साक्षर है, जिसमे महिला साक्षरता 24.61% (1380) है। ग्राम की कुल जनसंख्या की 28.9% (1625) आबादी अनुसूचित जनजाति एवं 4.2% (235) अनुसूचित जाति के लोग निवासरत है।

शोध प्रविधि-

ज्ञान के क्षेत्र मे शोध कार्य अपरिहार्य है। शोध कार्यो द्वारा उन प्रश्नो का उत्तर जानने का प्रयास किया जाता है, जिनका उत्तर उपलब्ध नही है। वर्तमान युग मे शोध या अनुसंधान का अत्यधिक महत्व है, क्योकि किसी भी क्षेत्र से संबंधित तथ्यो का प्रमाणीकरण, नवीनीकरण एवं सत्यापन अनुसंधान के द्वारा ही किया जा सकता है।

शोध कार्य में अनुसूचित जनजाति के नेतृत्व की प्रवृत्ति से संबंधित वास्तविक एवं विश्वसनीय आंकडो.को प्राप्त करने के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनो प्रकार के आंकडो को एकत्र कर पूर्ण किया गया है। प्राथमिक आंकडे .स्वयं कार्य स्थल पर जाकर मूल स्त्रोतों एवं साक्षात्कार अनुसूची द्वारा एकत्र किये गये है। जबकि द्वितीयक स्त्रोत मे विषय से संबंधित पूर्व शोध अध्ययन, शोध आलेख, निबंध, जर्नल, शासकीय प्रकाशन, आदेश परिपत्र, अध्यादेश, अधिनियम इत्यादि से तथ्यो का संकलन किया गया है।

अध्ययन क्षेत्र के रुप मे गाम पंचायत बांसा मे निवास करने वाले 100 उत्तरदाताओ का चयन कर पंचायती राज मे शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार के दौरान ग्रामीण अनुसूचित जनजाति नेतृत्व के संदर्भ मे उत्तरदाताओ द्वारा प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है:-

सारिणी क्रमांक-1

क्या आप पंचायतीराज के विषय मे जानते है

क्र.	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	85	85
2.	नहीं	15	15
	योग	100	100

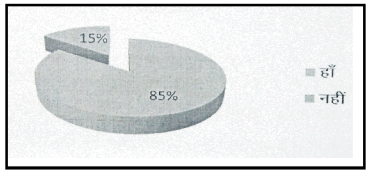

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजाति के राजनैतिक लोगों से पंचायतीराज के विषय में पूछने में पता चला कि इस बारे में लोग की 85 प्रतिशत हाँ में और 15 प्रतिशत नहीं में थी.

सारिणी क्रमांक-2

पंचायतीराज का गठन होने के बाद गांव का विकास हो रहा है.

क्र.	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	90	90
2.	नहीं	10	15
	योग	100	100

उपर्युक्त तालिका में पंचायतीराज का गठन होने के बाद गांव का विकास हो रहा इस बारे में लोगों का 90 प्रतिशत हाँ में जबाव मिला और 10 प्रतिशत नहीं में जबाव प्राप्त हुआ।

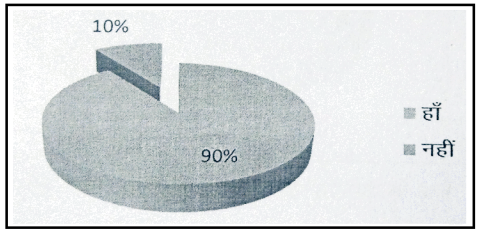

सारिणी क्रमांक-3

पंचायतीराज के द्वारा प्रदत्त ग्राम पंचायतों के कार्य के बारे में आप जानते है।

क्र.	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	65	65
2.	नहीं	35	35
	योग	100	100

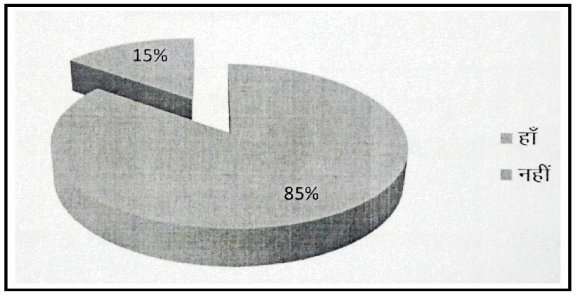

उपर्युक्त निष्कर्ष से यह स्पष्ट होता है कि पंचायतीराज के द्वारा प्रदत्त ग्राम पंचायतों के कार्यों के बारे में 65 प्रतिशत लोगों का मत हाँ है और 35 प्रतिशत लोगों का मत नहीं है।

सारिणी क्रमांक-4

क्या आप ग्राम पंचायतों को दी गई शक्तियों के बारे में जानते है

क्र.	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	85	85
2.	नहीं	15	15
	योग	100	100

उपर्युक्त स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायतों को दी गई शक्तियों के बारे में 85 प्रतिशत लोगों का मत है और 15 प्रतिशत लोगों का मत नहीं है।

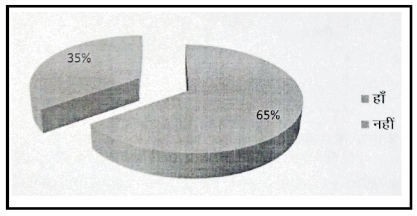

सारिणी क्रमांक-5

क्या आप ग्राम विकास के लिये बनने वाली योजना में ग्रामीणों से विचार विमर्श करते है।

क्र.	उत्तरदाता	संख्या	प्रतिशत
1.	हाँ	65	65
2.	नहीं	35	35
	योग	100	100

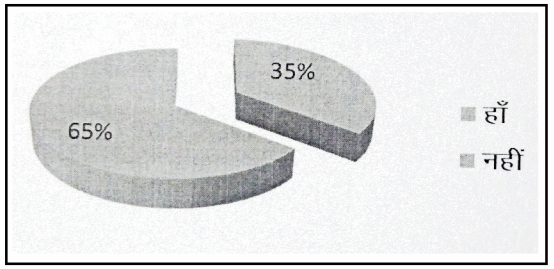

उपर्युक्त स्पष्ट है कि ग्राम विकास के लिये बनने वाली योजना में ग्रामीणों से विचार विमर्श करते है, जिसमें 65 प्रतिशत लोगों का मत हाँ है और 35 प्रतिशत मत नहीं है।

सारिणी क्रमांक-6

क्या आपने अभी तक ग्राम विकास के लिये कोई योजना तैयार कर विकासखण्ड अधिकारी या जिला अधिकारी को भेजा है।

क्र.	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	हाँ	40
2.	नहीं	60
	योग	100

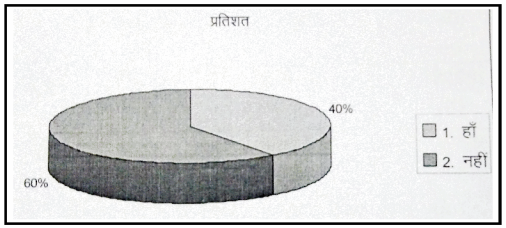

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अभी तक ग्राम विकास के लिये जो योजनायें तैयार कर विकासखण्ड अधिकारी या जिला अधिकारी को भेजा है जिसमें 40 प्रतिशत मत हाँ है और 60 प्रतिशत मत नहीं है।

सारिणी क्रमांक-7

क्या आप ग्राम पंचायत में मौजूद माध्यमिक या प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण या भ्रमण करने जाते है।

क्र.	उत्तरदाता	प्रतिशत
1.	हाँ	65
2.	नहीं	35
	योग	100

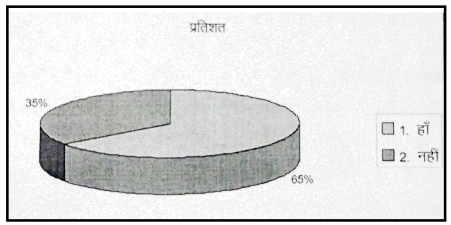

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में मौजूद माध्यम से या प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण या भ्रमण करने जाते है जिसमें 65 प्रतिशत मत हाँ है और 35 प्रतिशत मत नहीं है।

चर	न्यादर्शों के मतांतर का सम्मिलित परिदृश्य			
	1	2	3	योग 1 2 3
घरेलू शौचालय उपलब्धता	हाँ 90	नहीं 10		90%, 10%
माह में उपयोग की प्रवृत्ति (दिनों में)	प्रत्येक दिन 75	कभी कभी 15	कभी नहीं 10	75%, 15%, 10%
घरेलू शौचालय निर्माण के प्रेरक कारक	कला जत्था 20	स्वच्छता रथ 30	सीडी/पिक्चर 50	20%, 30%, 50%
ग्राम में घरेलू शौचालय निर्माण न कराने का कारण	आकार छोटा होने का भय 57	छत न होना 28	घर गंदा होने का भय 15	57%, 28%, 15%
घर के बच्चों में घरेलू शौचालय उपयोग की प्रवृत्ति	समीपता 77	गोपनीयता 0	जागरूकता 23	77%, 0%, 23%
शौचालय उपयोग हेतु प्रत्याकर्षक कारक	समीपता 7	गोपनीयता 17	जागरूकता 76	7%, 17%, 76%

विश्लेषण - उपर्युक्त आंकड़ों के विश्लेषण से निम्न महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त हुये-

प्रदर्शित ग्रामीणों में 90 प्रतिशत ग्रामीणों के घर में शौचालय निर्मित है जबकि 10 प्रतिशत ग्रामीणों के घर पर नहीं। चयनित प्रतिदर्शित व्यक्ति ग्राम पंचायत देवरा में सर्वाधिक 95 प्रतिशत खटखरी,

90 प्रतिशत तथा धरमपुरा में 75 प्रतिशत ग्रामीणों के घर घरेलू शौचालय है! इसी कारण देवरा ग्राम पंचायत को निर्मल ग्राम घोषित किया गया है।

75 प्रतिशत प्रतिदर्शित ग्रामीण घरेलू शौचालय का उपयोग प्रतिदिन करते हैं जबकि 15 प्रतिशत कभी-कभी तथा 10 प्रतिशत ग्रामीणों ने घरेलू शौचालय का उपयोग कभी नहीं किया। शौचालय उपयोग न करने वालों में सर्वाधिक 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के है, जिसका प्रमुख कारण जन्म से खुले मैदान में शौचालय जाना बताया गया। शौचालय उपयोग करने वालों में सर्वाधिक देवरा ग्राम पंचायत के प्रतिदर्शित ग्रामीण है जिसका प्रमुख कारण जागरूकता है।

घरेलू शौचालय निर्माण के प्रेरक कारक के संबंध में सर्वाधिक 62 प्रतिशत प्रतिदर्शित ग्रामीणों ने सी.डी. या पिक्चर से प्रेरित हुये और सबसे कम 13 प्रतिशत ग्रामीणों ने कला जत्था से प्रेरित होकर शौचालय का निर्माण करवाया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा उपर्युक्त प्रेरक कारकों का उपयोग ग्रामीणों को प्रेरित करने हेतु समय-समय पर किया जाता है।

अध्ययन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न के प्रति उत्तर में 57 प्रतिशत प्रतिदर्शित ग्रामीणों ने शौचालय का आकार (जो 1 वर्गमीटर निर्धारित है) छोटा होने के कारण ग्राम में अधिकाधिक लोगों ने घरेलू शौचालय का निर्माण नहीं कराना बताया, जबकि 28 प्रतिशत ग्रामीणों ने छत का ना होना (जो हितग्राही द्वारा स्वयं बनाने का प्रावधान है) तथा 15 प्रतिशत ग्रामीणों ने घर गंदा होने के भय या दुर्गन्ध को घरेलू शौचालय निर्माण न कराने का प्रमुख कारण माना गया। उपर्युक्त तीनों कारकों में कुछ ग्रामीणों के दृष्टिकोण में परिवर्तन स्पष्ट परिलक्षित हुआ। जो शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना की सार्थकता इंगित करता है।

77 प्रतिशत प्रतिदर्शित ग्रामीण मानते है कि घर के बच्चों में घरेलू शौचालय उपयोग की प्रवृत्ति में वृध्दि हुयी है जबकि 14 प्रतिशत ग्रामीण, बच्चों के शौचालय उपयोग की प्रवृत्ति को यथावत मानते हैं। ग्रामीण परिवेश के नई पीढ़ी में यह परिवर्तन घरेलू शौचालय की उपयोगिता सिध्द करता है।

निष्कर्ष -

अनुसूचित जनजाति नेतृत्व पंचायतों में कम प्रतिस्पर्धा से आया है। उनकी ग्रामीण विकास एवं सामाजिक सुधार की बात उत्साहवर्धक मानी जा सकती है। संचार माध्यमों के प्रति उनकी जागरुकता, अशिक्षा एवं कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति से जुड़े विषय है। महत्वाकांक्षा का अभाव भी इस संदर्भ में अन्तर्सम्बन्धी प्रतीत होता है। यदि अनुसूचित जनजाति के इन नेताओं/सरपंचों के उत्तरों को समग्र रूप में देखा जाए। ग्रामीण स्तर पर महिलाओं का एक ऐसा नेतृत्व उभर रहा है। जिससे इस आशा का संचार होता है कि अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जनजाति नेतृत्व की पंचायतों में प्रथम औपचारिक भागीदारी आने वाले समय में ज्यादा सजग एवं जागरूक नेतृत्व देने में सक्षम होगी। मध्यप्रदेश की पंचायतों के लिये यह एक आशापूर्ण संकेत है।

सुझाव -

ग्राम पंचायत का अध्ययन करने पर उनके कार्य कुशल बनाने या जागरूक करने के लिये निम्न सुझाव हैः-

1. एस.सी./एस.टी. में व्यापक शिक्षा का प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए। जिससे वे अपने अधिकार के प्राति जागरूक हो सकें।
2. निर्वाचित प्रतिनिधियों का समय-समय पर उनके कार्य अधिकार के लिये ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
3. ग्राम के समस्त एस.सी., एस.टी. के लोगों को ग्राम सभा में आवश्यक रूप से भाग लेना चाहिए।
4. पंचायत राज्य अधिनियम में प्रतिनिधियों के लिये नियमित शैक्षणिक आर्हता अनिवार्य की जानी चाहिए। जिससे दूसरे लोग उनके अधिकारों का गलत उपयोग या फायदा उठा सकें।
5. एस.सी./एस.टी. जनप्रतिनिधियों का उनके प्रशिक्षण के लिये टूर प्रोग्राम रखा जाना चाहिए जिससे वो बढ़-चढ़कर भाग ले सकें व नई जगह की जानकारी प्राप्त कर सकें।

संदर्भग्रन्थ सूची-

1. सोनी, जसप्रीत कौर सोनी, ग्लोबलाईजेशन : ब्रिजिंग डिवाइड बिटवीन सिविल सोसायटी एण्ड गुड गवर्नेंस, *दी इण्डियन जनरल ऑफ पॉलिटिकल साइंस,* दी इण्डियन पॉलिटिकल साइंस एसोसियेशन, मेरठ वॉल्यूम-नं.2 , अप्रैल-जून, पृ.सं. 279–283, 2006.
2. बी.एम.शर्मा, रूप सिंह बारेठ,(2004) *गुड गवर्नेंस ग्लोबलाईजेशन एण्ड सिविल सोसायटी,* रावत पब्लिकेशन, जयपुर, नई दिल्ली.
3. सी.पी.बर्थवाल,(2003) *गुड गवर्नेंस इन इण्डिया,* दीप एण्ड दीप पब्लिकेशन, नई दिल्ली.
4. पूजा शर्मा (2015), *ग्रामीण विकास पंचायतीराज की भूमिका*-महमूदपुर विकासखण्ड के विशेष संदर्भ में, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, आगरा.
5. डॉ. इकबाल नारायण, सुशील कुमार तथा पी.सी.माथुर की पुस्तक (1970) *पंचायतीराज एडमिनिस्ट्रेशन ओल्ड कन्ट्रोल एण्ड न्यू चेलैंजेंज.*
6. बिन्दु सिंह (2014) *भारत में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण एवं पंचायतीराज,* अप्रकाशित लघु शोध अवधेश प्रताप सिंह विद्यालय,रीवा.

7. डॉ. बसन्तीलाल बाबेल-मान सिंह राष्ट्रवर,(2001) राजेन्द्र बाफना, *वृहद राजस्थान पंचायतीराज कोड,* पृ.248.
8. श्री शरण, (2001), *पंचायतीराज और लोकतंत्र.*क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, नागपुर
9. आष्टे, प्रभा (1996) - *भारतीय समाज में नारी,* क्लासिक पब्लिशिंग हाउस, नागपुर.
10. रघुनाथ प्रसाद तिवारी, रामलाल चौधरी, कंचन सिंह चौधरी (1995) *राजस्थान में पंचायत कानून,* ऋचा प्रकाशन, जयपुर, पृ.सं. 8-9.
11. भार्गव, बी.एस.-(2015) *पंचायतराज सिस्टम एण्ड पॉलिटिकल पार्टीज,* आशीष पब्लिशिंग.
12. नेहरू, जवाहरलाल (1965) *सामुदायिक विकास एवं पंचायतराज,* सस्ते साहित्य मण्डल, इलाहाबाद.
13. रामप्यारे-हरिजन (1991) *युवकों का राजनीतिक समाजीकरण,* मित्तल पब्लिकेशंस, नई दिल्ली.
14. राजेन्द्र कुमार (1996) *ग्रामीण राजनीतिक अभिजन,* क्लासिकल पब्लिशिंग कम्पनी, नई दिल्ली .
15. गौड़, के.के.(1997) *भारत में ग्रामीण नेतृत्व का उदीयमान स्वरूप,* मानक पब्लिकेशंस, नई दिल्ली,1997.

****